Statement

Steps taken to promote export of marine products from India

1. Permission for operation of deep sea fishing vessels through Joint venture, Leasing, Test fishing, Direct import and Indigenous construction.
2. Assistance to the processing sector to modernise their plants and cold storages.
3. Subsidy to set up laboratories in the processing plants to check the quality of raw-material, finished products and other ingredients used in processing.
4. Assistance to diversify fishing effort with modification in craft and gear with a view to increasing the quantity of fish catch.
5. Subsidy on the diesel used by deep sea fishing trawlers.
6. Participation in the equity of new ventures to produce value added fish products.
7. Provision for financial and technical assistance to farmers to establish shrimp farms.
8. Training to fish farmers and processors in order to minimise production losses.
9. Participation in overseas trade fairs and exhibitions etc. to promote marketing of Indian marine products.
10. Organisation of periodical buyers & sellers meets in major market areas.
11. Financial assistance to the tune of 50% of the capital cost of the project is given to State and U.T. Governments/corporations, fishermen's co-operatives etc. for setting up of facilities for preservation and processing of fish.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में फलों और सब्जियों का उत्पादन

2236. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का स्थान ब्राजील और चीन के बाद तीसरा है, तथापि इस संबंध में इसकी संसाधित खाद्य वस्तुओ का निर्यात विश्व व्यापार की तुलना में एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं है;

(ख) यदि नही, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की इस दयनीय दशा को देखते हुए इसे प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध कच्चे माल का अधिकतम उपयोग कर पाने के लिए भारतीय परिस्थितियों को आवश्यकता के अनुरुप प्रसंस्करण हेतु तकनीक में आवश्यक शोध और अनुसंधान करने के लिए मैसूर में एक फूड इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके केन्द्र को कब तक स्थापित करने की सभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई) : (क) और (ख) कृषि तथा खाद्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार फलों के मामले में भारत का स्थान ब्राजील के बाद दूसरा और सब्जियों के मामले मे चीन के बाद दूसरा है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादो के मामले मे भारत का अंशदान 1% से अधिक नही है। इसकी मुख्य कारण अपर्याप्त क्षमता, प्रौद्योगिकी, उत्पादन का स्थर है और भारत में इस्तेमाल होने वाली पैकेजिंग प्रमुख निर्यातक देशों के अनुरुप नही होती। इसके अलावा, बागवानी उत्पाद जैसे मूल कच्चे माल का उत्पादन कम होने के कारण उद्योगो को अधिक निर्यात के लिए प्रतियोगी कीमतों पर बढ़िया प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए अधिक समय तक उचित दरो पर पर्याप्त प्रसंस्करण योग्य बढ़िया कच्चा माल नही मिल पाता।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए सही स्कीम की स्वदेशी मशीनरी, उत्पाद और संस्करण के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैसूर मे खाद्य इंजीनियरिंग केन्द्र की स्थापना की जा रही है। यह केन्द्र स्वदेशी कच्चे माल के उपयोग के लिए उपकरण और प्रसंस्करण को नवीनतम बनाने में सहायता देगा। केन्द्र ने मैसूर स्थित खाद्य प्रौयोगिकी अनुसंधान संस्थान मे उपलब्ध बुनियादी सुविधाओ से काम करना शुरू कर दिया है और इस उद्देश्य से अतिरिक्त उपकरण खरीदने के लिए कार्रवाई कर रहा है। आशा है पूरा केन्द्र योजना अवधि के अंत तक काम करना शुरू कर देगा।

Investment from foreign countries in food processing

2237. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state .

(a) how much investment has come up in the food processing area from foreign countries, item-wise details thereof ; and

(b) the details of indigenous investment item-wise in food processing ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING